

फर्द अहकाम ई

का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक पत्र जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया गया
21.01.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली में बहस सामयत की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की उपनिवेशन तहसील गजनेर मु० कोलायत पटवार हल्का नोखा उर्फ दैया के वाके ग्राम नोखा उर्फ दैया के खेत खसरा नंबर 16 तादादी 63 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 27 तादादी 152 बीघा 13 बिस्वा, ख०न० 17/3 तादादी 26 बीघा 05 बिस्वा, ख०न० 17/4/1 तादादी 22 बीघा, ख०न० 17/4/2 तादादी 20 बीघा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 6 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 30 बीघा ख०न० 216/15/2 तादादी 36 बीघा 02 बिस्वा इस प्रकार कुल 8 खसरो में 357 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि खातेदारान से लीज पर ले रखी है। उपरोक्त लीज का राजस्व अभिलेख में अंकन है। प्रार्थी अपनी लीज पर ली गई भूमि के खेतों की पत्थरगढी करवाना चाहता है।</p> <p>पैरोकार राज ने अपने जवाब में इनके द्वारा भूमि लीज पर लेने का कथन किया व अपनी बहस में पत्थरगढी किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>चूंकि प्रार्थी अपने खेतों की खातेदारी भूमि जो प्रार्थी ने सोलर प्रयोजनार्थ लीज पर ले रखी है, की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं जिसका प्रत्येक काश्तकार को कानूनी अधिकार है जिसके तमाम हर्जे व खर्चे की जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी को उसके द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खातेदारी वाके ग्राम नोखा दैया के खेत खसरा नंबर 16 तादादी 63 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 27 तादादी 152 बीघा 13 बिस्वा, ख०न० 17/3 तादादी 26 बीघा 05 बिस्वा, ख०न० 17/4/1 तादादी 22 बीघा, ख०न० 17/4/2 तादादी 20 बीघा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 6 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 30 बीघा ख०न० 216/15/2 तादादी 36 बीघा 02 बिस्वा इस प्रकार कुल 8 खसरो में 357 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि पर प्रार्थी के स्वयं के खर्चे पर पत्थरगढी आदेश प्रदान करना न्यायोचित समझते हैं।</p> <p>अतः उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के धारण की गई कृषि भूमि वाके ग्राम नोखा दैया के खेत खसरा नंबर 16 तादादी 63 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 27 तादादी 152 बीघा 13 बिस्वा, ख०न० 17/3 तादादी 26 बीघा 05 बिस्वा, ख०न० 17/4/1 तादादी 22 बीघा, ख०न० 17/4/2 तादादी 20 बीघा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 6 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 17/6 मीन तादादी 30 बीघा ख०न० 216/15/2 तादादी 36 बीघा 02 बिस्वा</p>	<p><i>Indra</i> 21-1-25</p>



21

शारदा चौधरी

सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु. कोलायत

इस प्रकार कुल 8 खसरो में 357 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क (पत्थरगढी एवं सर्वे शुल्क) जमा करवाकर प्रार्थी के स्वयं के खर्चे पर पत्थरगढी करवाने में मदद करें। तदानुसार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के नाम आदेश जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(६)
(शारदा चौधरी)

आर.ए.एस.

सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत

